

कार्यालय मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : प. 72(3)अनु.प्रथम/बी/2020/153

दिनांक : 29.06.2020

कार्यालय आदेश

विषय :- कनिष्ठ सहायक भर्ती परीक्षा 2013 में चयनित अभ्यर्थियों की हेतु काउंसलिंग के लिए उपस्थित होने बाबत ।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि कनिष्ठ सहायक भर्ती परीक्षा 2013 में चयन के उपरान्त नियुक्ति हेतु सार्वजनिक निर्माण विभाग को आवंटित निम्न अभ्यर्थी काउंसलिंग हेतु दिनांक 02.07.2020 को प्रातः 10.00 बजे कमरा नं. 135, मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जैकब रोड, जयपुर के कार्यालय में अपने मूल दस्तावेजों (जो आप द्वारा अपने फार्म के साथ संलग्न किये गए थे) एवं उनकी एक स्वप्रमाणित प्रति के साथ उपस्थित हों।

क्र.सं.	मेरिट संख्या	अभ्यर्थी का नाम / पिता का नाम
1	947	श्री विष्णु पॉंचाल पुत्र श्री रामदास पॉंचाल
2	1079	श्री सुनील कुमार शर्मा पुत्र श्री रमेश चन्द्र शर्मा
3	1114	श्री स्नेह प्रकाश पुत्र श्री ओंकार मल
4	17893	श्री मनोज कुमार कुरील पुत्र श्री टीका राम कुरील
5	17898	श्री जसवन्त सिंह पुत्र श्री सुलतान सिंह
6	17909	श्री मोहित कोटिया पुत्र श्री नरेन्द्र कोटिया
7	17916	श्री दीपक पुत्र श्री सुभाष चन्द्र
8	17925	श्री नेत्रपाल सिंह पुत्र श्री श्रीलाल
9	17936	श्री देवेन्द्र सिंह जाटव पुत्र श्री भागमल जाटव
10	18014	श्री सौरभ सिरौही पुत्र श्री मोहन लाल सिरौही
11	18060	श्री प्रकाश चन्द्र पुत्र श्री रघुनाथ प्रसाद गर्ग
12	21465	श्री नीरज कुमार मीना पुत्र श्री रमेश चन्द्र मीना
13	21471	श्री राजू मीणा पुत्र श्री बाबू लाल मीणा
14	21519	श्री छोटेलाल मीना पुत्र श्री रामजीलाल मीना
15	21536	श्री लोकेश कुमार मीना पुत्र श्री मिठालाल मीना
16	21571	श्री रविन्द्र कुमार मीणा पुत्र श्री दशरथ सिंह

यदि कोई अभ्यर्थी नियत दिनांक को काउंसलिंग के लिए उपस्थित नहीं होता है तो उसे उनके आवेदन पत्र में भरी गई जिलों की प्राथमिकता एवं रिक्त पदों की उपलब्धता के आधार पर जिला आवंटित कर पदस्थापन कर दिया जायेगा। अतः नियत दिनांक को समय पर उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

उपस्थित होने वाले अभ्यर्थियों को कोविड-19 के मध्यनजर मास्क एवं दस्ताने पहनकर ही काउंसलिंग समिति के समक्ष उपस्थित होना अनिवार्य है। यदि कोई अभ्यर्थी इसका पालन नहीं करता है तो उसकी काउंसलिंग नहीं की जावेगी।

इस यात्रा हेतु अभ्यर्थियों को कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

संलग्न-जिलेवार प्राथकमिता का प्रपत्र।

(चिन्न हरी मीना)

मुख्य अभियन्ता एवं अतिरिक्त सचिव
सा0 नि0 वि0, राजस्थान, जयपुर